

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-अक्षत कुमार सिंह (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
1002/2024

दायर दिनांक

20.12.2024

निर्णय दिनांक
05-12-2025

सनवान

1. कृष्णा कंवर पत्नी रामसिंह दरोगा, निवासी गायत्रीनगर, भीलवाडा।
2. रत्न सिंह पुन नन्दा दरोगा, निवासी गायत्रीनगर, भीलवाडा।
3. शेष कंवर पत्नी लक्ष्मण सिंह दरोगा, निवासी गायत्रीनगर भीलवाडा।

बनाम

— प्रार्थीगण

1. भवंरनाथ पुत्र रूपनाथ निवासी कालसांस तहसील व जिला भीलवाडा।
2. भीमा पुत्र गोकल जाट, निवासी कालसांस, तहसील व जिला भीलवाडा।
3. लक्ष्मीनारायण श्रौत्रिय पुत्र जगदीशप्रसाद श्रौत्रिय निवासी कालसांस तहसील व जिला भीलवाडा।
4. नोसी पत्नी जमनालाल गुर्जर, निवासी पालडी तहसील व जिला भीलवाडा।
5. कन्हैयालाल पिता पुत्र कैलाशचन्द्र कीर, निवासी कीरखेडा, सांगानेर, तहसील व जिला भीलवाडा।
6. रमेश कीर पुत्र रामचन्द्र कीर, निवासी कीरखेडा, सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा (राज)।

— विपक्षीगण

उपस्थित:-

1. अधिवक्ता, प्रार्थीगण श्री विकास जायसवाल उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 06 उपस्थित नहीं।
3. विपक्षी संख्या 07 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित।

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कालसांस पटवार हल्का रीछडा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 202 रकबा 0.3794 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 85 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 86 रकबा 0.1897 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 87 रकबा 0.2403 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 88 रकबा 0.2782 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 89 रकबा 0.5943 हैक्टेयर कुल कित्ता 06 कुल रकबा 1.7831 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा


उक्त कृषि भूमि प्राथीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पडोसी खातेदारान है। प्राथीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई र्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्राथीगण अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर र्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्राथीगण उक्त चणित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्राथीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 06 उपरिथत नहीं। प्राथीगण अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्राथीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्राथीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्राथीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। मेंने प्राथीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

मेंने पत्रावली में प्राथीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्राथीगण उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्राथीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम कालसांस पटवार हल्का रीछडा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 202 रकबा 0.3794 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 85 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 86 रकबा 0.1897 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 87 रकबा 0.2403 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 88 रकबा 0.2782 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 89 रकबा 0.5943 हैक्टेयर कुल किता 06 कुल रकबा 1.7831 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्राथीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 05.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अक्षय कुमार सिंह)
उपस्थित अधिकारी
भीलवाडा